भारत सरकार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
जोधपुर मंडल, जोधपुर

प्रत्नकीर्तिमपावृणु

Government of India
Archaeological Survey of India
Jodhpur Circle, Jodhpur

पत्रावली संख्या 07/9/जोध/सर्वे/कुम्भ/भू० अधि/2017–भाग II दिनांक 03.12.19

आम जन सुनवाई हेतु

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति – भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, केन्द्र सरकार द्वारा आशयित है :

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
राजसमन्द	कुम्भलगढ़	किला कुम्भलगढ़	572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595/1 और 595/2	11 बीघा 05 बिस्वा	कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु।

उपरोक्त उल्लेखित भूमि अवाप्ति हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए गठित समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रतियाँ कार्यालय जिला कलक्टर–राजसमन्द, कार्यालय तहसीलदार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी तथा कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, कुम्भलगढ़ में जन सामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध करा दी गई है। भूमि हेतु याचक विभाग भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट http://www.asijodhpurcircle.in/ से भी रिपोर्ट की प्रति को शीर्षक Land Acquisition at Kumbhalgarh Fort के आधीन डाउनलोड किया जा सकता है।

उक्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर जन सुनवाई दिनांक 26.12.2019 को समय प्रातः 10:00 बजे से स्थान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ पर नियत की गई है। उपरोक्त ड्राफ्ट रिपोर्ट के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई भी सुझाव/ आक्षेप अथवा जानकारी देनी हो तो विहित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर जन सुनवाई के दौरान दी जा सकती है। इस संबंध में किसी प्रकार का औपचारिक प्रारूप निर्धारित नहीं है, अतः आवश्यक ब्यौरे को शामिल करते हुए लिखित एवम् हस्ताक्षरित या अंगूठे के निशान युक्त पत्र, चाहे सादे कागज पर हस्तलिखित हो अथवा टंकित, को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ऐसे मामले जहां संबंधित व्यक्ति को अपने अभिमत लिखित रूप में देने में कठिनाई हो, वहां यथास्थिति समिति के सदस्य व्यक्ति को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करते हुए उसके कथनों को लेखबद्ध करने की व्यवस्था करेंगे।

उपरोक्त जन सुनवाई के दौरान समिति के सदस्य प्रभावित खातेदारों के द्वारा उठाए गए प्रश्नो और प्रसंगों का पूर्णतः संज्ञान लेंगे, अतः एतद् द्वारा समस्त खातेदारों/ प्रभावित कुटुंब के सदस्यों तथा हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जन सुनवाई में प्रतिभाग करके अपने मंतव्य अवश्य अभिलिखित कराए, जिससे उनके दृष्टिकोण/ विचारो को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की पुनरीक्षित रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सके।

3/12/19

अधीक्षण पुरातत्त्ववेत्ता,
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण,
जोधपुर मण्डल